

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1236/2012/जयपुर.

मैसर्स इंडियन पेट्रो केमिकल्स, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर
(Now Reliance Ind. Ltd.).

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्-राजस्थान, जयपुर.प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01/09/2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 222/अपील्स-गा/आरवीएटी/जयपुर/वि.वृ.राज./2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.05.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म राज्य में प्लास्टिक दाना पोलीमर का व्यवसाय करती है। अपीलार्थी व्यवहारी फर्म का सहायक आयुक्त, विशेष वृत् राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का दिनांक 1.4.2006 से 30.3.2007 तक की अवधि के लिये कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.11.2008 को पारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2006-07 की आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्रों की जांच करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की कुल विक्रय राशि रु0 1,81,00,53,836/- में क्रेडिट नोट्स के जरिये दिये गये डिस्काउण्ट रु0 3,26,49,924/- की छूट को अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-II के तहत अनुज्ञेय नहीं होना मानते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की वैट इन्वॉयस की बिक्री पर देय कर जमा करवाया जाकर बिक्री के बाद (Ex Post Facto Discount) जारी किये गये क्रेडिट नोट्स रु0 3,26,49,924/- की राशि पर छूट/रिफण्ड क्लेम को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि के लिये वैट अधिनियम की धारा 24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.11.2008 को पारित किया जाकर डिस्काउण्ट राशि रु0 3,26,49,924/- पर 4 प्रतिशत की दर से कर रु0 13,05,997/- एवं

-३६३-

लगातार.....2

ब्याज रु0 5,023/- कुल रु0 13,11,020/- की मांग कायम की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.05.2012 द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने से व्यक्ति होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि कम्पनी अपने उत्पादों की बिक्री के प्रोत्साहन हेतु अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स/ग्राहकों को विभिन्न स्कीमें ऑफर करती है एवं इसके तहत उनके साथ किये गये मौखिक अनुबंध की शर्तानुसार डिस्काउण्ट देती है, जिसकी जानकारी डिस्ट्रिब्यूटर्स को ग्राहकों को माल बेचने से पूर्व होती है। कम्पनी द्वारा घोषित स्कीमों के तहत माल की गुणवत्ता, मात्रा एवं आयतन के आधार पर स्कीम अवधि समाप्ति पर वितरक/डीलरों को क्रेडिट नोट जारी किये जाकर ट्रेड डिस्काउण्ट दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा वेट कर सहित जारी किये गये इन क्रेडिट नोट्स का अपनी लेखा-पुस्तकों में अंकन किया जाकर इस राशि को बिक्री विवरण प्रपत्रों में कुल पण्यावर्त में से कम करते हुए करयोग्य पण्यावर्त घोषित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कहना है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत बिक्री से पूर्व ज्ञात इस प्रकार के डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जाता था। राज्य में वेट अधिनियम प्रभाव में आने पर धारा 2(36) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' का आशय व्यवहारी द्वारा किसी माल के विक्रय की प्रतिफल राशि में से व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुरूप छूट अथवा डिस्काउण्ट के रूप में दी गई राशि कम करते हुए अदा की गई अथवा अदा योग्य राशि है तथा इस धारा के स्पष्टीकरण-II के अनुसार विक्रय के समय का नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट, जो इन्वॉयस से प्रकट (evident) हो, को 'विक्रय मूल्य' से अलग (exclude) किया जावेगा, परन्तु पश्चातवर्ती (expost facto) दिया गया डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि अलग नहीं होगा। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह भी कथन है कि किसी भी अधिनियम की धारा के स्पष्टीकरण को मूल धारा के प्रावधानों की किसी अस्पष्टता को दूर करने हेतु इसके साथ पढ़ा जाता है तथा इसकी व्याख्या मूल धारा के सारभूत (substantive) लाभ से इन्कार करने हेतु नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 2(40) के अनुसार निर्धारित 'कर योग्य टर्नओवर' पर अधिसूचित दर से देय कर का भुगतान किया जाना पूर्णतः विधिक एवं न्यायोचित था तथा व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार घोषित विभिन्न स्कीमों के तहत क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये पश्चातवर्ती ट्रेड डिस्काउण्ट (कर सहित) क्लेम की राशि का रिफण्ड अनुज्ञेय है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा

2(36) के स्पष्टीकरण—॥ की गलत व्याख्या करते हुए अपीलार्थी द्वारा व्यापार की प्रचलित प्रथा के अनुसार प्रस्तावित स्कीम के तहत आलौच्य अवधि में इन्वॉयस पर बाद में क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट को 'विक्रय मूल्य' में से अलग (exclude) नहीं किया जाकर इसे 'विक्रय मूल्य' का भाग मानकर इस राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर ₹ 0 13,05,997/- का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में व्यवहारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गुजरात राज्य बनाम रायपुर मैन्यूफैक्चरिंग कं. लिमिटेड (1967) 19 एस.टी.सी. 01; अम्बिका मिल्स लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य (1967) 19 एस.टी.सी. 12; उपायुक्त वाणिज्यिक कर एर्नाकुलम बनाम केरला रबर व एलाइड प्रोडक्ट्स (1993) 90 एस.टी.सी. 170; उपायुक्त वाणिज्यिक कर बनाम मैसर्स अडवानी औरलिंकन (1980) 45 एस.टी.सी. 32 एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के माप्रा लेबोरेट्रीज प्रा० लि० बनाम बिहार राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2004) 135 एस.टी.सी. 157 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम वेस्टर्न इलेक्ट्रोनिक्स लि० के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 87 एस.टी.सी. 522 का हवाला दिया।

उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 2(36) सपष्टित स्पष्टीकरण—॥ के विधिक प्रावधानों के अनुसार विक्रय मूल्य में से इन्वॉयस से प्रकट विक्रय के समय का नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही विक्रय मूल्य में शामिल नहीं होगा, परन्तु पश्चातवर्ती दिया गया डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा इनाम आदि को विक्रय मूल्य में से कम नहीं किया जावेगा। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय के समय इन्वॉयस में दर्शाई गई विक्रय मूल्य में से बाद में डिस्काउण्ट (कंटिन्यूअंट डिस्काउण्ट के रूप में) देने हेतु क्रेडिट नोट जारी किये जाकर इस डिस्काउण्ट राशि को 'विक्रय मूल्य' का भाग नहीं मानते हुए इस पर देय कर का क्रेडिट क्लेम करते हुए बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विधिक प्रावधानों के अनुरूप बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित क्रेडिट नोट्स की बिक्री के कर के क्रेडिट का क्लेम अस्वीकार किया जाकर इसे करयोग्य टर्नओवर मानकर इस पर कर आरोपित करने हेतु पारित किया गया आदेश अविधिक एवं अनुचित है तथा इनकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा इसी फर्म से संबंधित पूर्व पारित अपील संख्या 37/2011/जयपुर मै० इण्डियन पेट्रो केमिकल्स कॉरपोरेशन लि० जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्-राजस्थान जयपुर निर्णय दिनांक 08.10.2012 पेश किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में मुख्य विवाद राज्य में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से वेट अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' निर्धारण से सम्बन्धित है। इस विवादित बिन्दु के विनिश्चयन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 एवं वेट अधिनियम के तहत 'विक्रय मूल्य' परिभाषित करने सम्बन्धी विधिक प्रावधानों का अवलोकन करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(39) —

"**sale price**" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof ;

"Explanation I :- In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

"Explanation II :- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price but the burden of such proof shall lie on the dealer."

वेट अधिनियम की धारा 2(36) —

"**sale price**" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. — In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

उक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की Regime में प्रथम बिन्दु पर करारोपण के प्रावधान होने से इस अधिनियम की धारा 2(39) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' का आशय व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार छूट अथवा डिस्काउण्ट के रूप में अनुज्ञात की गई रकम कम करते हुए विक्रय प्रतिफलार्थ किसी व्यवहारी को संदत्त अथवा संदेय राशि है। इस धारा के नीचे दिये गये दोनों स्पष्टीकरणों में इन्वॉयस से प्रत्यक्ष विक्रय के समय का नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही व्यवहारी को विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त अथवा संदेय राशि से अलग किये जाने तथा कार्योत्तर प्रदान किया गया डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि अलग नहीं होने का प्रावधान किया हुआ नहीं है, परन्तु वेट अधिनियम की Regime में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान किया जाकर व्यवहारी द्वारा माल विक्रय के समय जारी वेट इन्वॉयस पर प्रकट कर का ही क्रेता व्यवहारी को इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अनुज्ञात किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण—॥ में यह प्रावधित किया गया है कि इन्वॉयस से प्रकट विक्रय करते समय दिये गये नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त अथवा संदेय राशि से अलग किया जायेगा, परन्तु कार्योत्तर प्रदान किये गये डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि अलग नहीं होंगे।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स सुलोचना अम्मा बनाम नारायणन नायर के न्यायिक दृष्टान्त (1994) 2 एस.सी.सी. 14 के पैरा 8 में किसी अधिनियम की धारा के स्पष्टीकरण की व्याख्या किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिपादित किया गया सिद्धान्त इस प्रकार है :–

"It is settled law that explanation to a section is not a substantive provision by itself. It is entitled to explain the meaning of the words contained in the section or clarify certain ambiguities or clear them up. It becomes a part and parcel of the enactment. Its meaning must depend upon its terms. Sometimes it would be added to include something within it or to exclude from the ambit of the main provision or some condition or words occurring in it. Therefore, the explanation normally should be so read as to harmonise with and to clear up any ambiguity in the same section."

- ३६७

लगातार..... 6

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण—॥ में इन्वॉयस से प्रकट विक्रय करते समय दिया गया नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त या संदेय राशि से अलग किये जाने तथा कार्योत्तर दिये गये डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य से अलग नहीं किये जाने बाबत स्थिति स्पष्ट करने में मूल धारा के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार वेट अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' सपष्टित स्पष्टीकरण—॥ के विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के प्रोत्साहन हेतु अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स/डीलर्स हेतु घोषित डिस्काउण्ट स्कीमों अथवा मौखिक अनुबंध के तहत कंटिनजेंट डिस्काउण्ट के रूप में स्कीम अवधि की समाप्ति पर क्रेडिट नोट के जरिये बाद में दिये गये डिस्काउण्ट की रकम को व्यवहारी की ओर से उत्पाद विक्रय करते समय वितरक/डीलर को जारी वेट इन्वॉयस में प्रत्यक्षतः दर्शायी गयी विक्रय प्रतिफलार्थ संदेय राशि से अलग नहीं किया जा सकता।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये माननीय पटना उच्च न्यायालय के माप्रा लेबोरेट्रीज प्रा० लिमिटेड बनाम बिहार राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2004) 135 एस.टी.सी. 157 से सम्बन्धित प्रकरण में तत्समय प्रभावी बिहार फाइनेंस एक्ट 1981 की धारा 2(यू) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' के विधिक प्रावधानों के आलोक में सम्बन्धित व्यवहारी के विभिन्न क्रेता पार्टियों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार स्कीम के तहत प्रदत्त मात्रात्मक छूट (quantitative discount) को कटौती योग्य मानकर विक्रय मूल्य से कम करने एवं करयोग्य पण्यावर्त में सम्मिलित नहीं किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। बिहार फाइनेंस एक्ट 1981 की धारा 2(यू) के प्रावधान निम्न प्रकार है:-

"2(u) 'Sale price' means the amount payable to a dealer as valuable consideration in respect of the sale or supply of goods;

Explanation-I.- Sale price shall include any amount charged by the dealer for anything done in respect of the goods at the time of, or before delivery thereof to the buyer.

Explanation-II- Sale price shall not include the cash discount allowed by the dealer according to the ordinary trade practice if shown separately. It shall also not include the cost for transport of the goods from the seller to the buyer, provided such cost is separately charged to the buyer."

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1980) 45 एस.टी.सी. 32 एवं (1993) 90 एस.टी.सी.

170 से सम्बन्धित प्रकरणों में तत्समय प्रभावी केरल जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम 1963 की धारा 2(xxvii) के अन्तर्गत परिभाषित 'टर्नओवर' व इसके स्पष्टीकरण 2(ii) एवं करयोग्य टर्नओवर निर्धारण सम्बन्धी केरल जनरल सेल्स टैक्स नियम 1963 के नियम 9(ए) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' सम्बन्धी विधिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए विक्रय इन्वॉयस में नहीं दर्शाये गये ट्रेड डिस्काउण्ट को भी माल के विक्रय मूल्य निर्धारण अथवा करयोग्य पण्यावर्त निर्धारण हेतु कम किये जाने योग्य होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त (1967) 19 एस.टी.सी. 01; 12 एवं (1992) 87 एस.टी.सी. 522 से सम्बन्धित प्रकरणों के तथ्य अपीलार्थी के प्रकरण से भिन्न होने के कारण यह निर्णय वर्तमान प्रकरण हेतु प्रासंगिक नहीं है।

अतः विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' के प्रावधानों के अनुरूप, प्रभावी नियमों/विधिक प्रावधानों के तहत परिभाषित 'टर्नओवर' व 'स्पष्टीकरण' तथा 'विक्रय मूल्य' की व्याख्या करते हुए व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ट्रेड डिस्काउण्ट देय होने का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, वह सिद्धान्त राज्य में दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी वेट अधिनियम की धारा 2(36) स्पष्टीकरण—॥ में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' की परिवर्तित परिभाषा के परिपेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है।

ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 2(36) स्पष्टीकरण—॥ के विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान अपने उत्पादों की बिक्री में बढ़ौतरी एवं प्रोत्साहन हेतु कंटिन्येंट डिस्काउण्ट के रूप में उत्पाद की बिक्री के बाद क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की रकम विक्रय करते समय वेट इन्वॉयस से प्रकट डिस्काउण्ट न होकर कार्योत्तर डिस्काउण्ट की श्रेणी में आने से यह 'विक्रय मूल्य' में से अलग अथवा कम किये जाने योग्य नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के आलौच्य अवधि में बिक्री बाद क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की विवादित राशि पर अधिसूचित दर से कर देयता मानते हुए इस राशि पर व्यवहारी की ओर से बिक्री विवरण प्रपत्रों में क्लेम किये गये टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार किया जाकर कर आरोपित किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है।

अतएव कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधि की कर योग्य बिक्री के बाद क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये डिस्काउण्ट की विवादित राशि पर अधिसूचित दर से देय कर की अतिरिक्त सृजित मांग राशि निर्धारित समयावधि में जमा करवाने एवं इस बिक्री को लेखा-पुस्तकों व बिक्री विवरण प्रपत्रों में छिपाया नहीं जाने के कारण व्याज का आरोपण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की क्रेडिट नोट्स के डिस्काउण्ट की राशि पर आरोपित करारोपण के आदेश दिनांक 28.11.2008 की पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है।

परिणामतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य

३६७२
(बी.के.भीणा)

अध्यक्ष

१५-९-२०१५